



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 30/2018

अपीलार्थी

गोपीराम अग्रवाल
आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा,,
बांसवाड़ा, राजस्थान

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 23-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्रीमती विजय वरन्दानी, सहायक शासन सचिव उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25-12-2016 के द्वारा आपके कार्यालय में एमओआरटीएच को वर्ष 2016 में कोई प्रस्ताव प्रेषित किये हो तो प्रतिलिपि उपलब्ध करावे और नहीं किये हो तो वैसी सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को अधिक्षण अभियन्ता एनएच द्वारा पत्र दिनांक 27-01-2017 से सूचना उपलब्ध करादी गई है। अपीलार्थी की प्रथम अपील का निर्णय दिनांक 27-02-2017 को किया जा चुका है। सूचना को प्रदत्त माना गया है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 07-02-2018 को प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 27-01-2017 व 27-02-2017 की प्रति संलग्न की है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)

मुख्य सूचना आयुक्त